

आकर खड़ा होता है क्योंकि उस गुरुद्वारे, उस मस्जिद, उस गिरजाघर और उस मंदिर की जिम्मेदारी सिर्फ एक मैनेजर पर स्थित है और यदि हम उस मैनेजर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो हम कैसे इस बिल को इंप्लीमेंट करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 26 में बड़े साफ अल्फाज में लिखा हुआ है—

"Freedom to manage religious affairs: Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes to manage its own affairs in matters of religion, to own and accrue movable and immovable property and administer such property in accordance with law."

मेरे कहने का मतलब है कि सरकार की नजरों में मैनेजर का जो एकट डिस्क्वालीफाईंग है, वह डिस्क्वालिफिकेशन उसके लिये वहां मैनेजर बनकर रहने का। पर वह डिस्क्वालिफिकेशन उस रिलीजियम इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफिकेशन का कारण हो सकता है। इसके लिए इस बिल में क्या प्रावधान है और इस बिल के माध्यम से क्या प्रावधान लेकर आप आर्टिकल 26 बिना नष्ट कर इसका इंप्लीमेंटेशन कर सकेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोई वकील नहीं हूं, कोई कानून का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मेरे जेहन में ये क्वेश्चन जागे हैं। इनके लिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर विचार करते की जरूरत है क्योंकि इस बिल पर इस मुद्दे की 80 करोड़ जनता की कुछ आशाएं कुछ आकांक्षाएं लगी हुई हैं कि हो सकता है कि शायद इसके बाद कम्युनिज्म का जहर किसी गुरुद्वारे से किसी मस्जिद से, किसी मंदिर से या किसी गिराजाघर से निकलकर कुछ औरतों को, कुछ मां-बहनों को विधवा तो नहीं कर देगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल

पाम हो रहा है, इस पर 80 करोड़ लोगों की आंखें लगी हुई हैं। मैं इसलिए चिंतित हूं। पर येन मुद्दा जो है कि बिल की जरूरत है, मैं कहता हूं, इसकी जरूरत तो आज बहुत है, इसकी जरूरत सन् 1948 को भी थी।

अंत में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए धन्यवाद जापन करता हूं। धन्यवाद।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : राम अवधेश जी, ताली तो बजा दीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : ऐसे विभेदकारी बिल के समर्थन में मैं ताली नहीं बजा सकता।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब यह पांच बजे दूसरा आइटम है—

श्री राजेश पायलट भूतल परिवहन मंत्री का वक्तव्य है। श्री राजेश पायलट।

STATEMENT BY MINISTER

Harassment and Humiliation of a girl student in a DTC Bus

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): Sir, it is with a deep sense of pain and anguish that I rise to make a statement regarding the regrettable incident that took place on a DTC bus on Thursday, the 11th August, 1988 when a young college student..... (Interruptions)
5.00 P.M.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट अंग्रेजी में है। इसकी हिंदी प्रति नहीं मिली है। (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : महोदय, इस बारे में हम लोगों ने लिखकर भी दिया है.... (व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : क्या वक्तव्य की प्रति हिंदी में नहीं है ?

श्री राम अवधेश सिंह : जब हम ने लिखकर दिया है कि वक्तव्य हिंदी में भी मिलना चाहिए. . . (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : ठीक है. मैं पता लगा रहा हूँ ।

श्री राम अवधेश सिंह : हिंदी में स्टेटमेंट आए, उसके बाद ही स्टेटमेंट दिया जाए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : ठीक है ।

श्रीमती सूर्यकांता जयवतराव पाटिल (महाराष्ट्र) : हिंदी के साथ बारंबार यह अन्याय क्यों होता है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : कुछ माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और वह उचित है इसलिए जब तक हिंदी का अनुवाद नहीं आ जाता है, इसे हम रोक देते हैं और इसके पूर्व जो बिल चल रहा था वह जारी रखते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : मैं इसको फाड़ देता हूँ और वाक आऊट करता हूँ ।

(इस समय माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए)

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): I want the statement in Tamil.

DR. RATNAKAR PANDEY: That is not the official language.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): We

may continue the Bill till the Hindi version comes.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Why not adjourn the House? This will amount to a shortcut.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Mr Vice-Chairman has already said that the Bill will continue.

SHRI JASWANT SINGH: I am safeguarding her interest. Her speech will be effective.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF MISUSE) ORDINANCE, 1988—Contd.

II. RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF MISUSE) BILL, 1988—Contd.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, the hon. Member just wanted to safeguard my interest. But as a member of the largest oppressed class of the world, as a woman, I want to join issue with what the hon. Member, Mr. Jaswant Singh, said when he first initiated the debate and moved the Statutory Resolution. The hon. Member said at that time that India is not a theocratic State and it is difficult to define what constitutes religion and what constitutes dharma. Since it is difficult to define on that ground partly he took serious objection to the contents of the Bill. I want to join issue with him on that point before beginning to speak on the Bill. It may be possible to define what dharma is. It may not be possible to define what religion is. But as a woman I can tell you that all religions equally discriminate against women. It is possible to define poverty. It is possible to define socialism. It is possible to define hunger. It is possible to define the rights to women. But when religion to mili-